न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 21/2021 (GCMS No. 2021/22) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामरज शर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैंथरी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

.........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 20.05.2006 प्रकरण संख्या 88/2000 उनवानी सरकार बनाम रामरज शर्मा।

उपस्थितिः—

1. श्री गोपाल शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक : 20.07.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 20.05.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीन नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर अपीलान्ट के हक में हुये आवंटन को कूटरचित, अवैध व रद्दी दस्तावेज मानते हुये प्रार्थना पत्र रेस्पो. को वापिस कर देने का आदेश किया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम कैंथरी तहसील सैंपऊ के क्षेत्राधिकार में आती है जबकि प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) अपीलान्ट के हक में हुये आवंटन को कूटरचित, अवैध व रद्दी दस्तावेज मानते हुये प्रार्थना पत्र को वापस कर दिया गया। जब स्वयं अधीनस्थ न्यायालय का मत है कि नियम 14(4) को कोई औचित्य नहीं है तो खारिज करनी चाहिए थी। वापस लौटाये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। आवंटन अभी भी प्रभावी है, यद्वपि खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया केवल वापस लौटाया है। इसके बावजूद भी गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील धारा 14(4) की तहसीलदार धौलपुर द्वारा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टे को निरस्त नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा कूटरचित पट्टा तैयार किया गया है। वर्ष 1996 के ग्राम रूँध राजौरा, गौगली व दौनारी के 9 आवंटन से संबंधित पट्टों की जॉच हेतु कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी द्वारा बाद जॉच उक्त पट्टों को फर्जी एवं कूटरचित पाया गया था। यह पट्टा भी उन कूटरचित पट्टों में से एक है जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने ज़ो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.05.2006 के विरूद्ध उक्त अपील पेश की है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट के आवेदन को कूटरचित अवैध मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट विवादित

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

आराजी पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी ही समान प्रकृति के प्रकरणों में पूर्व में भी आवंटन नियम 14(4) के तहत कार्यवाही की गई थी जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। अपीलान्ट का प्रकरण भी उक्त प्रकरणों के समान है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अथवा न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उनके तर्कों को समर्थन मिलता हो। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सैंपऊ, तहसीलदार धौलपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर की जॉच रिपोर्ट तथा तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के बयानों में किये गये कथन कि अपीलान्ट के पिता के नाम विवादित आराजी पर रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है और ना ही मौके पर कब्जा है और न ही कैंथरी में निवास करता है एवं राजस्व रिकार्ड में 1966 के पट्टों की जमा रिकार्ड सूची में कोई उल्लेख अपीलान्ट के पिता का नहीं पाया गया के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के पिता को जारी किया गया पट्टा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सैंपऊ, तहसीलदार धौलपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी व कूटरचित पाया गया। अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे उनके पिता के नाम जारी पट्टे को विधिक ठहराया जा सके। विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड भी अपीलान्ट ने पेश नहीं किया। दौराने बहस भी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट के नाम अभी विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाद सुनवाई विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-07-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर